

आईआईएम रांची ने प्रतिस्पर्धा कानून पर कार्यशाला का आयोजन किया

आईआईएम में प्रतिस्पर्धा कानून की बारीकियां बताई गईं

रांची, प्रमुख संवाददाता। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रांची में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के सहयोग से शुक्रवार को प्रतिस्पर्धा कानून पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष रवनीत कौर, भारत के उप सॉलिसिटर जनरल, झारखंड हाईकोर्ट, प्रशांत पल्लव व आईआईएम के निदेशक प्रो दीपक श्रीवास्तव मौजूद थे।

प्रो दीपक श्रीवास्तव ने अर्थव्यवस्था पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के प्रभाव को रेखांकित करते हुए प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धी लाभों के

महत्व पर जोर दिया। प्रशांत पल्लव ने बाजार पंजीकरण के महत्व और प्रतिस्पर्धा कानून की बारीकियों के बारे में विस्तार से बताया, जबकि रवनीत कौर ने प्रतिस्पर्धा कानून के तीन महत्वपूर्ण मुद्दों- सत्ता के प्रभुत्व का दुरुपयोग, प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते, विलय और अधिग्रहण के बारे में बताया।

वहीं, सीसीआई में संयुक्त निदेशक अरविंद आनंद ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का एक सिंहावलोकन प्रदान किया। सीसीआई में निदेशक शेखर ने प्रतिस्पर्धा कानून में हाल के संशोधनों पर चर्चा की।

प्रतिस्पर्धा कानून पर कार्यशाला लगी

जासं, रांची: आइआइएम रांची रांची के कारपोरेट रिलेशंस के में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग चेयरपर्सन प्रो. वरुण एलेम्बिलास्सेरी (सीसीआइ) के सहयोग से ने सत्र की शुरुआत की। कार्यशाला प्रतिस्पर्धा कानून पर कार्यशाला का में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की आयोजन किया गया। आइआइएम अध्यक्ष रवनीत कौर शामिल रहीं।

Dainik Jagran_23.03.2024_Pg. 06

आइआइएम में कंपटीशन लॉ पर कार्यशाला

रांची. आइआइएम रांची और कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया (सीसीआइ) के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को कंपटीशन लॉ विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ. कार्यशाला की मुख्य वक्ता चेयरपर्सन रवनीत कौर ने कंपटीशन लॉ के तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला. कहा कि इस कानून के तहत सत्ता के प्रभुत्व का दुरुपयोग, प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते व विलय और अधिग्रहण की बात की जाती है. इसका सदुपयोग हो. निदेशक प्रो दीपक श्रीवास्तव ने कंपटीशन लॉ की उपयोगिता पर प्रकाश डाला.

Prabhat Khabar_23.03.2024_Pg. 11